



वाद संख्या- OA(IIu)/PNBE/244/2022

पीठासीन: श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल0दा0अधिकरण/पटना

श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल0दा0अधिकरण/पटना

संस्थान की तिथि: 23.12.2022

निर्णय की तिथि: 04.07.2025

1. घाना देवी W/o स्व0बलिराम यादव
 2. शिव संकर यादव (मृतक का पुत्र)
 3. रामासंकर यादव (मृतक का पुत्र)
 4. शोभा कुमारी (मृतक की पुत्री)
 5. अनुराग कुमार (मृतक का पुत्र)
 6. वकील कुमार (मृतक का पुत्र)
- सभी निवासी ग्राम/मो0-निमेज,
पोस्ट-निमेज, थाना-ब्रह्मपुर, जिला-बक्सर,
बिहार, पिन-802130.

..... याचीगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर

..... उत्तरदाता

उपस्थिति:

वादी के विद्वान अधिवक्ता- श्री इन्दु भूषण प्रसाद, अधिवक्ता-उपस्थित।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता -श्री राधिका रमण, अधिवक्ता-उपस्थित।

श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याचीगण घाना देवी एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-16 के अन्तर्गत बलिराम यादव की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/- एवं उस ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।
2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार मृतक बलिराम यादव दिनांक 13.09.2021 को बक्सर से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का ट्रेन टिकट लेकर सदभावी यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। वह बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नं० 03230 डाउन पर सवार हुआ। उक्त ट्रेन में भारी भीड़ थी इसलिए उसे बोगी में सीट नहीं मिल सका एवं वह बोगी के दरवाजा के पास खड़ा था। जब उक्त ट्रेन बक्सर स्टेशन के पूरब पोल सं० 660/38 के पास पहुंची तो यात्रियों की धक्का-मुक्की एवं झटका लगने के कारण मृतक उक्त चलती ट्रेन से गिर गया जिससे उसे गंभीर चोटें आयी एवं घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।
3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि आवेदक का दावा आवेदन कानूनी रूप से एवं तथ्यों पर पोषणीय नहीं है। पीड़ित के पास के कोई वैध टिकट नहीं पाया गया है। इसलिए वह किसी यात्री ट्रेन का सदभावी यात्री नहीं था। जांच रिपोर्ट के अनुसार मृतक का शव डाउन ट्रेक पर बक्सर स्टेशन के पूरब में कि०मी० 660/38 के पास पाया गया था। मृतक का शव कमर के पास से दो हिस्सों में कटा हुआ था जो यह दर्शाता है कि—(i) यह आत्महत्या अथवा पीड़ित द्वारा आत्महत्या का प्रयास है अथवा (ii) यह पीड़ित द्वारा स्वप्रदत्त चोट (self inflicted injury) है यह अनपेक्षित घटना की परिधि में नहीं आती है। मृतक स्वयं

Baro

[Signature]

की गलती अथवा लापरवाही से जख्मी हुआ था इसके लिए विपक्षी जिम्मेवार नहीं है। पूरी कहानी का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने मृतक को ट्रेन पर चढ़ते नहीं देखा था। किसी ने भी उसे उक्त ट्रेन से गिरते नहीं देखा था। अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में रन ओवर हो जाने से मृतक जख्मी हुआ था। याचीगण कानूनी रूप से कोई राहत पाने के हकदार नहीं हैं जैसा कि दावा आवेदन के पैरा VII में दावा किया गया है। अतः याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 22.09.2023 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।
 - (1) क्या मृतक प्रश्नगत रेलगाड़ी का सदभावी यात्री था?
 - (2) क्या मृतक की मृत्यु से संबंधित घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा-123 (सी) (2) संपठित धारा 124ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?
 - (3) मृतक के आश्रित कौन-कौन हैं?
 - (4) आश्रितगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
5. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से स्टेशन मेमो(प्रदर्श-A/1), आवेदन(प्रदर्श-A/2), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-A/3), एफआईआर (प्रदर्श-A/4), फाइनल रिपोर्ट (प्रदर्श-A/5), शव चालान (प्रदर्श-A/6), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-A/7), आधार कार्ड (प्रदर्श-A/8), आश्रित प्रमाण पत्र (प्रदर्श-A/9), की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।
6. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में धाना देवी का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0 1 के रूप में एवं रघुनाथ यादव का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ban

[Signature]

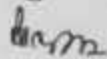
7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डा. आर. एम. रिपोर्ट में दर्शावण की मूल प्रति (सामूहिक रूप से प्रदर्श- R/1) प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02

दोनों वाद-बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसलिए इनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

9. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि मृतक बलिराम यादव दिनांक 13.09.2021 को बक्सर से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का ट्रेन टिकट लेकर सदभावी यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। मृतक को उसका भाई रघुनाथ यादव टिकट कटाकर बक्सर स्टेशन में ट्रेन नं० 03230 डाउन पर चढ़ा दिया था। उक्त ट्रेन में भारी भीड़ थी इसलिए उसे बोगी में सीट नहीं मिल सका था एवं वह बोगी के दरवाजा के पास खड़ा था। जब उक्त ट्रेन बक्सर स्टेशन के पूरब पोल सं० 660/38 के पास पहुंची तो यात्रियों की धक्का-मुक्की एवं झटका लगने के कारण मृतक उक्त चलती ट्रेन से गिर गया जिससे उसे गंभीर चोटें आयी एवं घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।
10. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि प्रस्तुत मामले में यदि मृतक के पास टिकट होता तो वह टिकट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय बरामद होता। परन्तु मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में टिकट बरामदगी का कोई उल्लेख नहीं है। मृतक की मृत्यु अनधिकृत रूप से रेलवे लाइन पार करने के क्रम में किसी चलती गाड़ी की चपेट में आने से हुई। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। याचीगण





द्वारा सिर्फ मुआवजा प्राप्त करने के लिए मनगढ़न्त तथ्यों पर दावा आवेदन दाखिल किया गया है।

11. उप स्टेशन प्रबंधक, पू०म०रे०, बक्सर द्वारा जी०आर०पी०/आर०पी०एफ०, बक्सर को 11 स्टेशन मेमो जारी किया गया है जिसके अनुसार,

EC HPSB के चालक द्वारा बॉकी-टॉकी से मिली सूचना के आधार पर KM 660/38 पर DN line में एक 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा है। कृपया उचित कार्रवाई करें।

12. एफ०आई०आर० में रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम रघुनाथ यादव, पे० स्व० राम सींघासन यादव, सा० निमेज, थाना-ब्रह्मपुर, जिला-बक्सर लिखा है एवं इसमें मृत्यु का कारण-गाड़ी सं० 03230 से गिरने कटने के कारण होना अंकित है।

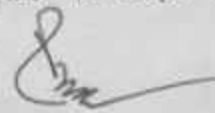
13. पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के क्रम सं० 2 में, मृतक का नाम, बलीराम प्रसाद, उम्र करीब 46 वर्ष, पे० स्व० राम सींघासन यादव, सा० निमेज, थाना-ब्रह्मपुर, जिला-बक्सर, लिखा है। मृत्यु का कारण, "गाड़ी संख्या 03230 से गिरने कटने के कारण मृत्यु होना" अंकित है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में गवाह के रूप में रघुनाथ यादव का नाम एवं अंगूठा का निशान है।

14. पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 14.9.2021 में *external examination:- Massive lacerated cut injury at pelvis level separating trunk from lower limbs.* मृत्यु का कारण, *cardio-respiratory arrest due to shock and haemorrhage following above. Time elapsed since death- eighteen to twenty four hours* दर्शाया गया है।

15. पुलिस फाइनल रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि—

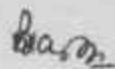
घटनास्थल पर उपस्थित लोगों से पूछा तो बताये कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु चलती ट्रेन सं० 03230 डा० पैसेन्जर गाड़ी से गिरकर तथा कटकर हुई है। जांच के क्रम में मृतक का भाई रघुनाथ यादव द्वारा बताया गया कि मैं मृतक को छोड़ने बक्सर रेलवे

Barn



स्टेशन आया था मृतक मेरा भाई है। तथा गाड़ी सं० 03230 में टिकट कटवाकर बैठा दिया। जांच से स्पष्ट होते हुए मृतक बलीराम यादव पे० स्व० राम सींघासन यादव, सा० निमैज, थाना-ब्रह्मपुर, जिला-बक्सर, की मृत्यु चलती ट्रेन सं० 03230 मुगलतसराय पटना पैसेन्जर से गिरकर तथा कटकर मृत्यु होना अंतिम प्रतिवेदन सं० 48/21 दिनांक 14.09.21 को समर्पित करता हूँ।

16. मृतक के भाई, रघुनाथ यादव ने कथित घटना के उपरांत दिनांक 13.09.2021 को रेल थाना, बक्सर को एक आवेदन दिया था जिसमें उसने कथन किया है कि-"आज दिनांक 13.09.2021 को मैं अपने छोटे भाई बलिराम यादव को रेलवे स्टेशन बक्सर से यात्रा टिकट कटवा कर गाड़ी संख्या 03230 में बक्सर से रघुनाथपुर के लिए चढ़ा दिया। उक्त गाड़ी जब खुली तो कुछ दूर जाते ही मेरा भाई बलिराम यादव भीड़-भाड़ के वजह से गिर गया तथा गिरने और कटने से मृत्यु हो गया।"
17. रेल के सदभावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.05.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:
- ".....mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."*





अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध कर और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें।

18. साक्षी धाना देवी, ए0डब्लू0 1 ने अपने साक्ष्य शपथपत्र की पैरा 2 में कहा है—

यह कि दिनांक 13.09.2021 को मेरे पति स्व0 बलिराम यादव (मृतक), बक्सर रेलवे स्टेशन से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन तक का द्वितीय श्रेणी का वैध रेल यात्रा टिकट लेकर, ट्रेन संख्या 03230 में बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक सदभावी रेल यात्री के रूप में सवार हुए थे। इस साक्षी से विपक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि— "घटनास्थल से मेरे घर से गाड़ी से जाने में लगभग 20-25 मिनट लगता है।" इस प्रकार इस साक्षी से किये गये प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट होता है कि घटनास्थल मृतक के घर से काफी दूरी पर स्थित है क्योंकि गाड़ी से जाने पर 20-25 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार इस साक्षी से किये गये प्रतिपरीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि घटनास्थल से मृतक का घर काफी दूर था। दूर होने के कारण घर से घटनास्थल इतना दूर जाकर रेलवे लाईन पार करने का कोई औचित्य नहीं है। न ही मृतक द्वारा रेलवे पार करने के दौरान उसके ट्रेन की चपेट में आ जाने के संबंध में कोई साक्षी ही प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त तथ्य से याचिका में मृतक के ट्रेन से गिरने के तथ्य का ही सम्पोषण होता है।

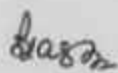
19. साक्षी रघुनाथ यादव, ए0डब्लू0 2 ने अपने साक्ष्य शपथपत्र की पैरा 1 में कहा है—

यह कि दिनांक 13.09.2021 को मैं अपने छोटे भाई बलिराम यादव को बक्सर रेलवे स्टेशन से यात्रा टिकट कटाकर गाड़ी सं० 03230 में बक्सर से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ा दिये थे।





याची ने सशपथ बयान किया कि: मृतक बलीराम यादव मेरा छोटा भाई था। जिस दिन घटना हुई थी उस समय मैं बक्सर सिविल कोर्ट गया था। शिव शंकर यादव मेरा मृतक भाई बलीराम का लड़का है। जिस दिन मेरे मृतक भाई का दुर्घटना हुई थी उस दिन मेरा भतीजा और मृतक के पुत्र का तारीख था। सिविल कोर्ट रेलवे लाईन के दक्षिण ओर है और मेरा घर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा में है। मृतक के पुत्र शिव शंकर यादव को मैं और मेरा छोटा भाई बली राम यादव, उसे एक केस में हाजिर कराने कोर्ट में ले गये थे। आर पी एफ वालों ने मेरा बयान लिया था तथा मेरा अंगुठा का निशान मेरे बयान पर लगाया था। बयान को आर पी एफ वालों ने पढ़कर मुझे सुनाया था। शपथ पत्र मैंने बनवाया है। मैं अपने भाई के मृत शरीर को देखा था। मैंने अपने भाई का मृत शरीर को माल गोदाम से पूरब रेलवे लाईन के पास देखा था लोगों ने लाश को हटा दिया था। इस समय मैं भूल गया हूं कि सही जगह कहां पर भाई का शव को देखा था क्योंकि मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अंगुठा का निशान मेरा है। याज्ञा नंद ओझा मेरे गांव का है। मैंने अपने भाई का शव देखा था परन्तु मुझे याद नहीं है कि उसको कहां-कहां चोट था। मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं। मैं अपने भाई की चोट नहीं देखा हूं इसीलिए मैं नहीं बता सकता हूं कि मेरे भाई का शव दो भाग में कटा हुआ था या नहीं। मैंने आज अपने शपथ पत्र के पैरा 1 में यह बात लिखी है कि दिनांक 13.09.2021 को मैं अपने छोटे भाई बली राम यादव को बक्सर रेलवे स्टेशन से यात्रा टिकट कटाकर गाड़ी संख्या 03230 में बक्सर से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन जाने के लिए गाड़ी पर चढ़ा दिया था, यह बात मैंने आर पी एफ वालों को भी अपने बयान में बतायी थी। मुझे नहीं पता कि मेरा मृतक भाई अपने पास अपने बेटे का अंक प्रमाण पत्र रखा हुआ था या





नहीं। मेरा मृतक भाई छोटा मोबाइल रखता था। मुझ भाई के मोबाइल का न. याद नहीं है।

21. मृतक के भाई, रघुनाथ यादव, साक्षी ए0डब्लू0 2 से विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष विस्तृत जिरह की है, परन्तु उसमें ऐसा कोई सारवान तथ्य निकलकर नहीं आया है, जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्षी ए0डब्लू0 2 रघुनाथ यादव के द्वारा घटना के दिन ही रेल पुलिस को दिये आवेदन से भी उसकी साक्ष्य का सम्पोषण होता है कि मृतक को टिकट लेकर उसने ट्रेन में चढ़ाया था। इस तथ्य का उल्लेख याचिका में भी किया गया है।
22. पत्रावली पर उपलब्ध डी आर एम रिपोर्ट में उल्लेख है कि—
जांच में पाये गये साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतक बलिराम यादव उम्र 46 वर्ष पे0 स्व0 राम सींगासन यादव, सा0 निमेज, थाना-ब्रह्मपुर, जिला-बक्सर के पास कोई यात्रा टिकट नहीं पाया गया। घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतक की मृत्यु लाईन पार करने के दौरान ट्रेन के चपेट में आने के कारण कमर से नीचे दो भाग में कट जाने से हुई है।
23. डी आर एम की जांच के दौरान मृतक के भाई, रघुनाथ यादव का बयान दर्ज किया गया है। इस बयान में रघुनाथ यादव का अंगूठा का निशान लगा हुआ दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि रघुनाथ यादव पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं है परन्तु इस बयान को दर्ज करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर नहीं हैं। यह बयान किस तिथि को एवं किस जगह दर्ज किया गया है, उसका भी उल्लेख नहीं है। रघुनाथ यादव ने घटना के दिन जी आर पी, बक्सर थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया था जिसके आधार पर यु0डी0केस दर्ज किया गया है, उस आवेदन की प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध है। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि इस बयान में जो तथ्य अंकित है वह



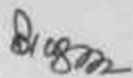


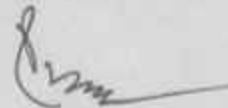
सत्य एवं विश्वसनीय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि रघुनाथ यादव पढ़ा-लिखा नहीं है इसलिए जांच अधिकारी द्वारा मनमाना तथ्य अंकित कर उससे अंगूठा लगवा लिया गया है। साथ ही बयान दर्ज करने वाले अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर भी इस बयान पर नहीं होना इस बयान को संदिग्ध बना देता है। इस प्रकार इस बयान की सत्यता संदिग्ध होने के कारण इसका कोई लाभ विपक्षी रेलवे को नहीं दिया जा सकता है।

24. मूल आवेदन में प्रार्थना-पत्र के आधार पर यु0डी0केस सं0 42/2021 दिनांक 13.09.2021 दर्ज होने का स्पष्ट उल्लेख है। अब यदि साक्षी ए0डब्लू0 2 रघुनाथ यादव द्वारा जी0आर0पी0/बक्सर को दिये प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाए तो यह तथ्य स्पष्ट होता है कि घटना के दिन दिनांक 13.09.2017 को ही यह तथ्य उल्लेख किया था कि वह टिकट लेकर मृतक को ट्रेन पर चढ़ा दिया था।

इसके अतिरिक्त मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में रघुनाथ यादव का नाम एवं अंगूठा का निशान होना, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृतक का नाम एवं पूरा पता लिखा जाना, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में ट्रेन नं0 का उल्लेख होना, यु0डी0 केस में रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के रूप में रघुनाथ यादव का नाम होना, रघुनाथ यादव के इस कथन की पुष्टि करता है कि उसने टिकट कटाकर मृतक को ट्रेन में चढ़ाया था।

25. इस प्रकार रघुनाथ यादव ने जिन तथ्यों का कथन घटना के उपरांत दिनांक 13.09.2021 को रेल थाना अध्यक्ष, बक्सर को दिये आवेदन में किया है उसका समर्थन साक्षी ए0डब्लू0 2 के साक्ष्य शपथपत्र एवं ए0डब्लू02 के प्रतिपरीक्षा से हो जाती है। इस प्रकार याचीगण ने अपने साक्ष्य के माध्यम से मृतक का सदभावी यात्री होना साबित किया है एवं इस संबंध में अपनी प्रथम जिम्मेवारी निभाई है। याचीगण द्वारा अपनी साक्ष्य से अपने सबूत के भार को पूरी तरह discharge किया है। इसके विपरीत तथ्य को साबित करने की जिम्मेवारी विपक्षी की थी। विपक्षी रेलवे ने डी0आर0 एम0 रिपोर्ट में कथन किया है कि मृतक की मृत्यु लाईन पार करने के दौरान ट्रेन के चपेट में आने के कारण कमर से नीचे दो भाग में कट जाने से हुई है। परन्तु विपक्षी ने ऐसा कोई साक्षी





जैसे-लोकरा पायलट, गार्ड अथवा अन्य किसी कर्मचारी का न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता कि मृतक की मृत्यु लाईन पार करने के दौरान ट्रेन के चपेट में आने के कारण हुई हो। अतः मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना में होना साबित होता है।

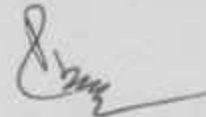
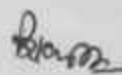
26. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों के अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि मृतक प्रश्नगत ट्रेन का सदभावी यात्री था एवं उसकी मृत्यु रेल अधिनियम, 1989 की धारा-123 (सी) (2) संपठित धारा 124ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है। तदनुसार वाद बिन्दु 1 एवं 2 सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 03

27. विचारणीय है कि मृतक के आश्रित कौन-कौन हैं? मूल आवेदन के साथ पारिवारिक सूची (वंशावली) दाखिल किया गया है। इसके साथ ही साक्ष्य शपथपत्र में भी मृतक आश्रितों के नाम का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार, घाना देवी (मृतक की पत्नी), शिवशंकर यादव (मृतक का पुत्र), रामाशंकर यादव (मृतक का पुत्र), शोभा कुमारी (मृतक की पुत्री), अनुराग कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र), वकील कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र), ही मृतक के आश्रित हैं। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन पूर्णतः सिद्ध है। इस तथ्य के आलोक में, उपरोक्त याचीगण ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के आलोक में मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

28. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा



संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, का प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/- (आठ लाख रुपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/- (आठ लाख रुपये मात्र) एवं उस पर 9 प्रतिशत ब्याज, घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

29. याचीगण की याचिका स्वीकार की जाती है। आवेदकगण का आवेदन पत्र कुल ₹8,00,000/- (आठ लाख रुपये मात्र) एवं उस पर 9 प्रतिशत ब्याज, घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तदनुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगे:-

क्रम सं०	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	धाना देवी	पत्नी	49	₹3,00,000	₹40,000	₹2,60,000
2.	शिव शंकर यादव	पुत्र	21	₹1,00,000	₹10,000	₹90,000
3.	रामाशंकर यादव	पुत्र	21	₹1,00,000	₹10,000	₹90,000
4.	शोभा कुमारी	पुत्री	21	₹1,00,000	₹10,000	₹90,000
5.	अनुराग कुमार	पुत्र	18	₹1,00,000	₹10,000	₹90,000
6.	बकील कुमार	अवयस्क पुत्र	17	₹1,00,000	शून्य	₹1,00,000*

Signature

Signature

नोट:- * वकील कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र) के हिस्से की पूरी राशि उसके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा। वकील कुमार (मृतक का अवयस्क पुत्र) का अंश उसकी माता धाना देवी के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उसके स्थायी निवास स्थान के निकटतम, उसके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उसकी माता धाना देवी अपने अवयस्क पुत्र के भरण-पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त करने की हकदार होगी। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

30 (a) प्रतिवादी रेलवे को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/- (आठ लाख रुपये मात्र) एवं उस पर 9 प्रतिशत ब्याज, घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से कुल ₹80,000/- (अस्सी हजार रुपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, एफडीआर बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

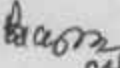
12/02

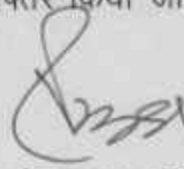
- (c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।
- (d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।
- (e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
- (f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।
- (g) बैंक याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

Bam

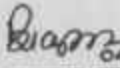
Sum

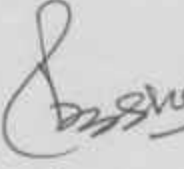
31. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और उभयपक्ष को निर्णय की प्रति स्पीड पोस्ट से भेजी जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।


04/07/2025
(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 04.07.2025


04/07/2025
(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 04.07.2025

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।


04/07/2025
(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 04.07.2025


04/07/2025
(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 04.07.2025